फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – थाना अमृतपुर

दिनांक :-26.01.2025

थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-05/25 धारा- 191(2) /115(2)/352/351(2)/333/ 103/3(5) BNS से सम्बंधित नामित/वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्री आलोक सिंह** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री जोगेन्द्र कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस उमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ **श्री आलोक प्रियदर्शी** के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक **श्री डा0 संजय सिंह** व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर **श्री रवीन्द्र नाथ राय** के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा थाना अमृतपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-05/25 धारा-191(2)/115(2)/352/351(2)/333/103/3(5)BNS से सम्बंधित वांछित/नामित अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम चपरा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. सुनील कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम चपरा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

घटना का विवरण:- दिनांक 16.01.25 थाना अमृतपुर वादी धीरज पुत्र ब्रजेश निवासी ग्राम चपरा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ द्वारा सूचना दी गयी कि उसके व उसके परिजनों के साथ सालिगराम व उसके साथियों द्वारा मारपीट की गयी है। जिसमें वादी धीरज के भाई व परिवारीजन 1.रामशंकर 2.अनवेश 3. राधेश्याम को चोंटे आयी थी। जिसमें वादी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 05/25 धारा 191(2)/115(2)/352/351(2)/333 BNS बनाम सालिगराम आदि 07 नफर पंजीकृत किया गया था। वादी के भाई रामशंकर की इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। जिसमें त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना अमृतपुर पुलिस द्वारा विवेचना के क्रम में धारा 103/3(5) BNS की बढ़ोत्तरी की गयी। उपरोक्त अभियोग में 02 अभियुक्तगणों को दिनांक 19.01.2025 को गिरफ्तार कर मा0 न्या0 भेजा जा चुका है। दिनाँक 26.01.2025 को मुखबिर की सूचना पर वांछित/नामित अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र अमर सिंह निवासी ग्राम चपरा थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़ को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त ने पूछने पर बताया कि दिनांक 15.01.2025 की शाम को हमारे गाँव के रामशंकर पुत्र बृजेश व उसके रिश्तेदार मंजेश , कौशल पुत्रगण अनगपाल से पुराने जमीनी विवाद को लेकर मारपीट हो गयी थी जिसमें रामशंकर गंम्भीर रुप से घायल हो गया था तथा उसकी मृत्यु हो गयी । शेष सफाई मैं अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में दूँगा।

अभियुक्त सुनील का अपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0-05/25 धारा-103/191(2)/115(2)/352/351(2)/333/103BNS थाना अमृतपुर जनपद फतेहगढ़।

गिरफ्तार करने वाली थाना अमृतपुर पुलिस टीम:-

1.उ0नि0 मीनेश पचौरी थानाध्यक्ष अमृतपुर
2.उ0नि0 कल्लू सिंह
3.का0 शिवम कुमार
5.महिला का0 पूनम

मीडिया सेल फतेहगढ़।